क्रम संख्या–183

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

4/III

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 361 / XXXVI(3) / 2018 / 72(1) / 2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018'** पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 33, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33, वर्ष, 2018)

उत्तराखण्ड में अनधिकृत विकास, अतिक्रमण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "अधिनियम" से "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से नगरपंचायत व नगरपालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त एवं प्राधिकरण की दशा में प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अतिक्रमण" से नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक/राजकीय भूमि, सड़क मार्ग, गलियों, पैदल मार्गों आदि में आवासीय, व्यवसायिक अथवा अन्य उपयोग हेतु किये गये अतिक्रमण एवं अस्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी निर्माण अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र में लागू मास्टर प्लान /योजना का उल्लंघन कर किया गया हो;

(घ) "दण्डात्मक कार्यवाही" से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन अनधिकृत विकास के विरूद्ध की गयी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमें ध्वस्तीकरण, परिसर की सीलिंग तथा व्यक्तियों अथवा उनके व्यवसाय का विद्यमान स्थान से विस्थापन न्यायालय अथवा अन्यथा के अनुपालन में किया गया हो;

(ङ) "नियमावली" से "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान नियमावली, 2018" अभिप्रेत है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नियमावली का प्रख्यापन होने तक "उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016" प्रचलन में रहेगी;

(च) "मलिन बस्ती" से नगर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहॉ अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौमिक अधिकारों के अभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो। इनमें ऐसी बस्तियॉ भी सम्मिलित होंगी जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के रूप मे अधिसूचित की गयी हों;

(छ) "अनधिकृत विकास" से ऐसे भू–उपयोग अथवा भवन उपयोग तथा भवन निर्माण अभिप्रेत है जो स्वीकृत प्लान से सुसंगत न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान अथवा ले–आऊट प्लान अथवा जैसा भी प्रकरण हो, का उल्लंघन करता हो तथा इसके अंतर्गत अतिक्रमण भी सम्मिलित है।

(ज) "नगर निकाय" से ऐसी स्वायत्तशासी संस्था अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित व अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत गठित है, और इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत सम्मिलित है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

3. इस अधिनियम के उपबंध का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अध्याय– दो

राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही व निर्देश देने की शक्ति

प्रवर्तन को स्थगित रखा जाना

4. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

इस अधिनियम के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होना

5. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।–

(1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण कार्य।

(2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

(3) सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

6. राज्य सरकार, समय–समय पर स्थानीय नगर निकायों एवं प्राधिकरणों को, जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगी। नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्गत निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय– तीन
प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

8. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

10. (1) उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 361/XXXVI(3)/2018/72(1)/2018
Dated Dehradun, October 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: 33 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16 October, 2018.

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 33 of 2018)

AN

ACT

to provide for unauthorised development, encroachment in Uttarakhand and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent & commencement

1. (1) This Act may be called "the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018".

(2) It extends to all Urban Local Bodies/ Authorities of the State.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) **"Act"** means 'the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act,2018';

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा देहरादून समेत अन्य शहरी क्षेत्रों के विद्यमान मास्टर प्लान मे संशोधन एवं परिवर्द्धन की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे क्षेत्र, जो मास्टर प्लान से आच्छादित नही हैं, में मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान हैं। राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है। इस हेतु **"उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 का प्रख्यापन किया गया है।**

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।